बिहारी वगै. बनाम ओमप्रकाश वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी क्र.न. – 1/2021
16-3-21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। अप्रार्थीगण को नोटिस तामील पूर्व में तामील होकर लौटे हैं। बावजूद तामील हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीया एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 19-03-2021 को पेश हो।
19.03.2021	पत्रावली आज निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीया एक पक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 471 रकबा 0.5600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का वि[illegible]क से सीमाज्ञान दिनांक 18.12.20[illegible] के आदेश पर पटवारी हल्का [illegible] करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि स[illegible] है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। जो प्रार्थीया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.03.24 13:04:28 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

.... बनाम ....

फ़ेरम मुकदमा .... बिदामी वगै0 बनाम् औमप्रकाश वगै0 प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी, मुकदमा नं. 01 / 2021 .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	खांतेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि की सींव डोल आदि को नष्ट कर अतिक्रमण करते आ रहे है तथा कहने सुनने से मानते नहीं है तथा लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा रहते है। प्रार्थीया ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 18.12.2020 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बांबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का थोई द्वारा दिनांक 18.12.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खंसरा नम्बर 471 रकबा 0.5600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक की फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान की फीस 600/– रूपये प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का थोई द्वारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.03.24 13:04:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	बिदामी वगै0 बनाम् ओमप्रकाश वगै0 प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी, मुकदमा 01/2021
	दिनांक 18.12.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 19.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.03.24 13:04:28 IST
Reason: SelfAttested